न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0

दायर तारीख 25.01.2019

वादपत्र संख्या 08/2019

अनवान्

1. राधी पत्नी भोजाराम जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादीया

बनाम्

1. गोपाल पिता गोर्धन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. घासी पिता लाला जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री सुनील बाकलीवाल – अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :–15/11/2022

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया के खाते की भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां के खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 722/423 रकबा 6–05 बीघा, आराजी संख्या 759/423 रकबा 6–05 बीघा कुल किता 02 रकबा 12–10 बीघा भूमि पर वादीया खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण ने वादीया की वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा कर प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी संख्या 722/423 रकबा 6–05 बीघा में से रकबा 1–12 बीघा जमीन पर व प्रतिवादी संख्या 2 ने आराजी संख्या 759/423 रकबा 6–05 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा भूमि पर कब्जा कर अपनी जमीन में मिला लिया। प्रतिवादीगण को वादीया ने कब्जा नहीं किये जाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये।

वादीया ने दिनांक 22.06.2018 को विवादित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु पत्थरगढी कराई तो इस तथ्य की जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 1–12 बीघा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 2 ने 0–12 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वादीया ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत् कहा तो तैयार नहीं हुये और कब्जा भी नहीं सौपा इस कारण वादीया को प्रतिवादी को बेदखल करने हेतु वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं।

प्रतिवादी का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा स्वामित्व निहित नहीं होते हुये भी प्रतिवादी ने पत्थरगढी करवाने के बाद भी जबरन वादीया की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया एवं पटवार हल्का द्वारा पत्थरगढी के मुस्कील मुकाम को उखाड़ कर फेक दिया एवं वर्तमान में प्रतिवादी ने जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादीया को बेदखल कर रखा है जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी का किसी प्रकार का हक हिस्सा व स्वामित्व निहित नहीं हैं।

वादिया स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी को बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुआवजा क्षति पूर्ति के बदले में प्रदान कराते हुये वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावें।

वादिया ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां के खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 722/423 रकबा 6–05 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 का रकबा 1–12 बीघा भूमि पर एवं आराजी संख्या 759/423 रकबा 6–05 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 को बेदखल किया जाकर वादीया को पुनः कब्जा सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सादर फरमायी जावें। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी को सिपूर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नही करें वादीया को बेदखल नहीं करें। कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 राधा देवी पिता भोजाराम अहीर नि0 तिलस्वां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

पीडब्ल्यू–2 सत्यनारायण पिता भोजाराम अहीर नि0 तिलस्वां को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया द्वारा जमाबन्दी संवत् 2071–2074 की नकल पेश की जो Ex-1 हैं। पत्थरगढी का मौका पर्चा Ex-2 पेश किया हैं।

प्रकरण में प्रतिवादी की कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी के बयान कराये हैं। जमीन पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां के खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 722/423 रकबा 6–05 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 का रकबा 1–12 बीघा भूमि पर एवं आराजी संख्या 759/423 रकबा 6–05 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा पाया गया हैं। प्रस्तुत वादपत्र में वादीया ने गोपाल पिता गोर्धन अहीर एवं घासी पिता लाला बंजारा प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री चाही हैं। जो उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादीया अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाता हैं।

आदेश

वादपत्र वादीया अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम तिलस्वां प0ह0 तिलस्वां के खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 722/423 रकबा 6–05 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 को रकबा 1–12 बीघा भूमि एवं आराजी संख्या 759/423 रकबा 6–05 बीघा में से रकबा 0–12 बीघा भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीया को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 15/11/2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ